





**अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।**

विधि क्रम नं० ३३ (1) / 2017-18

दिनांक	आवेदक पत्रक	अभिलेख
<p>23/11/18</p> <p>6/2/18</p>	<p>आवेदक श्री सुनील राउत पिता स्व. उचित राउत साहू - जगु नगर कर्मिक नगर, धनबाद, जिला धनबाद ने भौजा सरायदेला भौजा नं० 08, खाता नं० 81 प्लॉट नं० 33 रकबा 01 1/2 कट्टा के अन्तर्गत कायम जमाबंदी सं० 4887 में रकबा सुधार करने हेतु आवेदन समर्पित किया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से जीव प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से भौग करे। अभिलेख दिनांक 6/2-18 को रखें।</p> <p align="right">                       अंचल अधिकारी,                      धनबाद।                 </p> <p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी का जीव प्रतिवेदन समर्पित। जीव प्रतिवेदन के अनुसार भौजा सरायदेला भौजा नं० 08, खाता नं० 81 प्लॉट नं० 33 रकबा 03 कट्टा का भूमि 6178 दिनांक 26.08.03 में रकबा 03 कट्टा ही है। आवेदक के माता बच्ची देवी अपने 3 कट्टा के अन्दर 01 1/2 कट्टा को श्रीमती संयुक्ता देवी पति सुखदेव प्रसाद को बेच दिया। श्रीमती संयुक्ता देवी पति सुखदेव प्रसाद ने उक्त भूमि 01 1/2 कट्टा को बिना दाखिल खारिज कराये ममता देवी पति श्री दिनेश राउत को बेच दिया। परन्तु उक्त 01 1/2 कट्टा को श्रीमती बच्ची देवी के जमाबंदी सं० 4987 से घटा दिया गया। इस प्रकार बच्ची देवी का जमाबंदी शून्य हो गया। अतः बच्ची देवी के नाम से चल रहे जमाबंदी सं० 4887 में रकबा 01 1/2 कट्टा करने हेतु राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अनुशंसा किया है।</p> <p>अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है भौजा सरायदेला भौजा नं० 08, खाता नं० 81 प्लॉट नं० 2336 रकबा 01 1/2 कट्टा भूमि जो बच्ची देवी के नाम से कायम जमाबंदी सं० 4887 दर्ज करें। तदनुसार हल्का कर्मचारी को सूचित करें।</p> <p>लेखापित एवं सशोधित।</p> <p align="right">                       अंचल अधिकारी,                      धनबाद।                 </p>	<p align="right">                       अंचल अधिकारी,                      धनबाद।                 </p>

संक्रमांक 1726 दिनांक 10/4/18

उत्तिलिपि :- श्री अशोक कुमार, राजस्व कर्मचारी, हल्का-3 धनबाद को भूचणार्थ एवं आकस्मिक कार्रवाई हेतु भेजा।

  
 अंचल अधिकारी,  
 धनबाद।

## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विधि वाव सं० २३. (11) / 2017-18

दिनांक

आदेश फलक

अभिव्यक्ति

21/01/18

आवेदक श्री सुनील राउत पिता स्व० उचित राउत सा० - वापु नगर कार्मिक नगर, धनबाद, जिला धनबाद ने मौजा सरायडेला मौजा नं० 08, खाता नं० 81, प्लॉट नं० 33 रकवा 01 1/2 कट्टा के अन्तर्गत कायम जमाबंदी सं० 4887 में रकवा सुधार करने हेतु आवेदन समर्पित किया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से माँग करे। अभिलेख दिनांक 6/2/18 को रखें।

अंचल अधिकारी,  
धनबाद।

6/2/18

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन समर्पित। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा सरायडेला मौजा नं० 08, खाता नं० 81 प्लॉट नं० 33 रकवा 03 कट्टा का भूमि 6178 दिनांक 26.08.03 में रकव 03 कट्टा ही है। आवेदक के माता बच्ची देवी अपने 3 कट्टा के अन्दर 01 1/2 कट्टा को श्रीमती संयुक्ता देवी पति सुखदेव प्रसाद को बेच दिया। श्रीमती संयुक्ता देवी पति सुखदेव प्रसाद ने उक्त भूमि 01 1/2 कट्टा को बिना दाखिल खारिज कराये ममता देवी पति श्री दिनेश राउत को बेच दिया। परन्तु उक्त 01 1/2 कट्टा को श्रीमती बच्ची देवी के जमाबंदी सं० 4887 से घटा दिया गया। इस प्रकार बच्ची देवी का जमाबंदी शून्य हो गया। अतः बच्ची देवी के नाम से चल रहे जमाबंदी सं० 4887 में रकवा 01 1/2 कट्टा करने हेतु राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अनुशंसा किया है।

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है मौजा सरायडेला मौजा नं० 08, खाता नं० 81 प्लॉट नं० 2336 रकवा 01 1/2 कट्टा भूमि जो बच्ची देवी के नाम से कायम जमाबंदी सं० 4887 दर्ज करें। तदनुसार हल्का कर्मचारी को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,  
धनबाद।

अंचल अधिकारी,  
धनबाद।

सौजन्य

अखिल अखिलेश्वरी  
दरबार।

द्वारा श्री ० गिरी  
दरबार।

विषय - संतोष मालमुजारी राशी में गलत होने के संबंध में।

प्रमाण, आपके विषय के संबंध में अखिल सुनिल शक्ति सिंह एक अखिल  
राशि खानिमा वाफ नरप के द्वारा दिये गये अखिलेश्वरी में अखिलेश्वरी  
कहनु का जोंप विषय ही पाया कि अखिलेश्वरी का प्रमाण है कि उग्रोप में उग्र  
गलत दर्शाया गया है। अखिलेश्वरी सं० ५४४७ श्री मति वचनी देवी पर एक अखिल  
राशि के नाम से गलत खराब देना धारणा ०४ खराब ४। एंकोर ३३ खराब ०३  
का खराब कर रहा है। अखिलेश्वरी में खराब दर्शाया है ६। ५४ दिनांक २६-४-०३ में  
खराब ०३ गलत ही है। अखिलेश्वरी अखिलेश्वरी के पत्नी वचनी देवी अखिलेश्वरी के अखिल  
। ५ गलत की श्री मति संभुषा देवी पर सुखदेव प्रसाद को देव दिया। श्री मति संभुषा  
देवी पर सुखदेव प्रसाद ने इका भूमि ५ गलत को विना दण्ड खराब कराने के पर श्री मति  
संभुषा देवी पर श्री दिनेश शक्ति को देव दिया। परंतु उग्र ५ गलत की श्री मति  
वचनी देवी के अखिलेश्वरी ५४४७ से धरा दिया गया। इस तरह वचनी देवी के  
अखिलेश्वरी में खराब नाल हो गया है।

अखिलेश्वरी के अखिलेश्वरी वम क एंकोर जोंप के अखिलेश्वरी

में अखिलेश्वरी अखिलेश्वरी के पत्नी के नाम से चल रहा अखिलेश्वरी सं०  
५४४७ में खराब ५ गलत झाना गया।

जहां अखिलेश्वरी संतोष प्ररत श्री कृष्ण

की जोंप खराब है

विश्वनाथ

3/12/18